





मुख्तार अंसारी के चार सहयोगियों की गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी



गाजीपुर। पुलिस द्वारा IS-191 आपराधिक गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के 04 प्रमुख सहयोगियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन रेयाज अंसारी और उनकी पत्नी पूर्व चेयरमैन निकहत परवीन भी शामिल हैं। पुलिस नेकासिमाबाद चौराहा के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पत्नी एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष निकहत परवीन को नौकरी दिलाये जाने का मामला पहले से दर्ज है। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस गैंग पर जबरिया जमीन हड़पने और धमकी देने के मामले भी दर्ज कराए हैं।

इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत आज रेयाज अहमद अंसारी, निकहत परवीन पत्नी रेयाज अहमद, कमाल अहमद और ऐहतशाम को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि रियाज अंसारी पर आधार दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

नाबालिक से युवक ने किया दुष्कर्म

भांवरकोल। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर शनिवार की देर रात को इसी गांव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यह घटना शुक्रवार की देर रात की बताई जाती है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव में जब एक किशोरी अपने घर में अकेली सो रही थी। इसी बीच गांव के एक युवक ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस मामले में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की देर शाम पीड़िता की तहरीर पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ दुराचार सहित पाक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना की जानकारी होने पर आज रविवार को दोपहर जिले से फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाया। फॉरेंसिक टीम ने धीरज शुक्ला एवं तारकेश्वर रजक शामिल थे। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मासूम को छोड़ मां ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

गाजीपुर। खानपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में रविवार को एक विवाहिता ने छत की कुंडी के सहारे साड़ी से फांसी का फंदा तैयार कर खुद उस पर झूल गई। गर्दन की हड्डी टूटने और सांस की नली में चोट पहुंचने की वजह से उसकी मौत हो गई। शव को देख परिवार के लोग चीखने-चिल्लाने लगे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा की कार्यवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि मूलरूप से बहारियाबाद थाना क्षेत्र के भवरूप गांव की मनीषा चौहान बचपन से ही खानपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित अपने ननिहाल में नाना सतिराम चौहान के यहां रह रही थी। लगभग सात वर्ष पूर्व उसकी शादी देवगांव थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव निवासी विजय चौहान से हुई थी। अपने तीन माह की बेटी के साथ वह नाना के घर आई थी। जहां फांसी पर लटककर उसने अपनी जान दे दी। इस सम्बंध में पूछे जाने पर खानपुर एसओ प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि तहरीर मिलने पर ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

मौत शब्द ही अपने आप में खौफनाक है, जिसे सुनने के बाद किसी की भी रुह कांप उठेगी। ऐसे में खुद अपने हाथों मौत को गले लगाने का सीधा मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आंतरिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुका है। वजह कुछ भी हो सकती है। पारिवारिक कलह या फिर भी कोई और बात। मनीषा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नहीं तो वह अपनी तीन माह की दूधमुंही बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से दूर जाने की कभी न सोचती। मनीषा की मौत के बाद उसकी मासूम बेटी को देख पूरा परिवार टूट गया है। बच्ची के भविष्य की चिंता सभी को सताने लगी है। बच्ची को रोता देख सभी लोग यहीं कह रहे हैं कि शायद मासूम अपने उस मां को पुकार रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मौत का सदमा और ऊपर से बिलखती बच्ची को देख परिवार के लोगों का कलेजा फट जा रहा है।